

राजस्थान आवासन मंडल जयपुर

कमांक : प.1(1)/ज.स.अ./समाचार पत्र/2007/ 249

दिनांक 26-11.07

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल में पूर्व में जारी समस्त आदेशों का अधिक्रमण करते हुए कार्य व पद की आवश्यकतानुरूप मण्डल अधिकारियों को कार्यालय/ निवास पर निम्नानुसार समाचार पत्र/पत्रिका मंगवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-


| क्र. सं. | पद | कार्यालय | | निवास | |
|----------|--|--|---------|----------------------------|---------|
| | | समाचार पत्र | पत्रिका | समाचार पत्र | पत्रिका |
| 1. | मुख्य अभियन्ता/सचिव/वि. स. एवं मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक विधि | 2 | - | 3 | 4 |
| 2. | जन सम्पर्क अधिकारी/प्रकोष्ठ | 4 राज्य स्तरीय व 4 राष्ट्र स्तरीय | - | 4 राज्य व 2 राष्ट्र स्तरीय | - |
| 3. | सूचना अधिकार प्रकोष्ठ | 1 राज्य स्तरीय हिन्दी, 1 राष्ट्र स्तरीय अंग्रेजी समाचार पत्र | | | |
| 5. | कम्प्यूटर प्रकोष्ठ | कार्यालय हेतु पत्रिका-चिप, पी.सी.क्यूस्ट, आई.टी. | | | |
| 6. | मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/अति. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/उप आवासन आयुक्त/तक.सहायक-अध्यक्ष, आवासन आयुक्त, मुख्य अभियन्ता/विशेष-अधिकारी (भूमि)/वरिष्ठ लेखाधिकारी/उप सचिव/प्रमुख निजी सचिव/आवासीय अभियन्ता/वरिष्ठ नगर नियोजक/वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/निजी सचिव/एनेलिस्ट-कम प्रोग्रामर/विशेषाधिकारी-अध्यक्ष/सहायक निदेशक अभिलेख/लेखाधिकारी/उप नगर नियोजक/सम्पदा प्रबन्धक/सांख्यिकी अधिकारी/कार्मिक प्रबन्धक/सहायक सचिव/सहायक नगर नियोजक/विधि अधिकारी/परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ)/वरिष्ठ निजी सहायक/भूमि अवाप्ति अधिकारी/सहायक वास्तुविद। | कार्यालय/निवास पर दो समाचार पत्र (फाईनेन्शियल एक्सप्रेस, इकॉनॉमिक टाइम्स, दी ऑबजर्वर, हिन्दु, बिजनिस स्टैण्डर्ड को छोड़कर) | | | |



इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश लागू होंगे :-


1. समाचार पत्र/पत्रिकाओं से सम्बन्धित पूर्व में जारी सभी आदेश निष्प्रभावी हो जाएंगे।
2. अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत समाचार पत्र/पत्रिकाओं के वास्तविक बिल का पुनर्भरण किया जाएगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृति अनुसार सक्षम स्तर पर बजट प्रावधान करवायेंगे।
3. सभी अधिकारी बिल का सत्यापन स्वयं करेंगे एवं बिल का पुनर्भरण सम्बन्धित भुगतान कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे।
4. यह आदेश 1 नवम्बर, 2007 से प्रभावी होंगे।

इन आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


सचिव 23/11/07

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. ~~प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।~~
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वि. स. एवं मु. लेखाधिकारी/निदेशक विधि/अति. मुख्य नगर नियोजक, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/उप सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल ————— (समस्त)
6. उप आवासन आयुक्त ————— (समस्त)/वरिष्ठ नगर नियोजक, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल ————— (समस्त)
8. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय —————, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. सम्बन्धित/रक्षित पत्रावली।


सचिव 23/11/07